MAY 2023

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 4477 /121-2 बागेश्वर दिनांक : 06/05/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या –866/2017 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु 2.848 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु खेल विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/other/41466/2019**

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/09/12/2021/एफ0सी0/615 दिनांक 27.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तिया का निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	बिन्दु संख्या 03 (ख) के सापेक्ष हेतु CA चयनित क्षेत्र का वन विभाग के पक्ष में mutation कर लिया गया है तथा IFA,1927 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कर लिया गया है किन्तु अधिसूचना की प्रति प्रेषित नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4(i) के अनुसार इस दशा में विधिवत स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह विधिवत स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) का आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में घोषित होने की notofocation की प्रति प्रेषित करने हेतु।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कालापैरकापड़ी 5.20 है0 व हरकोट में 0.496 है0 सिविल भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सख्या 101/छब्बीस–14 बन/2018–19 दिनांक 23.04.2022 से वन विभाग के पंक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित स्वीकृति प्रदान करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है। (संलग्नक–01)

संलग्न–चार प्रतियों में

भवदीय,

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Nodal adikari

आदेश

उपजिलाधिकारी,कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद, बागेश्वर के अंतर्गत ग्राम खोली में स्टेडियम निर्माण हेतु 2.848 है0 की दुगुनी 5.696 है0 भूमि, जो ग्राम कालापैरकापडी, तहसील, कपकोट के गैर ज0वि0 खतौनी श्रेणी 9(3) ख के खाता संख्या -13 खेत नम्बर 716 मध्ये 1.660 है0 ,769 रकवा 1.320है0, खेत नम्बर 917 रकवा 1.420 है0, खेत नम्बर 921 रकवा 0.800 है0 कुल 5.20 है0 भूमि तथा ग्राम हरकोट गै0ज0वि0ख0खा0 संख्या-41 श्रेणी 9(3) ख के खेत नम्बर 25 रकवा 2.000 है0 मध्ये कुल 0.496 है0 भूमि शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर,2012 तथा पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,क्षेत्रीय कार्यालय,उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र संख्या- 8बी/यू0सी0पी0 /09/12/2021/एफ0सी0/2483 दिनोक 17.03.2021 में दी गयी शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या: 101 /छब्बीस-14 वन /2018-19/2022 दिनांक 23/4 /2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
02. उपजिलाधिकारी, कपकोट।
03. जिला क्रीडा अधिकारी,बागेश्वर।
04. तहसीलदार, कपकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तान्तरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग एंव याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/41466/2019** योजना जनपद बागेश्वर में **मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या –866/2017 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु 2.848 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु खेल विभाग को प्रत्यावर्तन** के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम कालापैरकापडी में **5.20 है0 तथा ग्राम हरकोट में 0.496 है0** सिविल भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सख्या 101/छब्बीस–14 वन/2018–19/2022 दिनांक 23.04.2022 से हस्तान्तरित/आवन्टित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वाामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

कार्यालय वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी बागेश्वर।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare/other.JEO ..docx"